समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका कमांक................./2017

प्रवीण पटेल आत्मज श्री प्रेमसिंह पटेल,
आयु–वयस्क, निवासी–मकान नंबर–ई–2/22,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

....................आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. सुशीला बाई पुत्री स्व.श्री मथुरा प्रसाद
   आयु–वयस्क, निवासी–ग्राम गढ़मुर्रा,
   तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.)

2. कामता बाई पुत्री स्व.श्री मथुरा प्रसाद,
   आयु–वयस्क, निवासी–ग्राम गढ़मुर्रा,
   तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.)

.......................अनावेदक/उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) के समक्ष नामांतरण प्रकरण कमांक–182/अ–6/08–09 का प्रस्तुत किया था, जिसका अवलोकन करने में श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दस्तावेजों एवं विक्रय अनुमति का अवलोकन करते हुए गंभीर त्रुटि कर आलोच्यपूर्ण आदेश दिनांक 04/05/2010 को पारित किया है, जिसके विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) के समक्ष राजस्व प्रथम अपील कमांक–21/अपील/2010–11 की प्रस्तुत की थी, जिसका अवलोकन करने में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) द्वारा दिनांक 31/12/2011 को आलोच्यपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसके विरूद्ध राजस्व द्वितीय अपील श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के समक्ष आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की थी, जिसे द्वितीय राजस्व अपील कमांक–30/अपील/2012–13 के रूप में पंजीबद्ध किया है, जिसका निराकरण भी श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के द्वारा सरसरी तौर पर करते हुए दिनांक 20/02/2017 को आलोच्यपूर्ण आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता को नवंबर 2017 को ज्ञात हुई, जिससे दुःखित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही हैः–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपल/भू.रा./2018/358

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्‌वान अभिभाषक द्‌वारा ग्राहता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्‌वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-2-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26-12-2017 को लगभग 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आवेदक को विलम्ब माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण स्पष्ट करना चाहिए था । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	